

**फर्द अहकाम**  
**कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द**

आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय – आई सी आई सी आई बैंक टावर, चकली सर्किल के पास, पुराना पाड़ा रोड, बडोदरा 390007, गुजरात तथा शाखा कार्यालय :- 2 सी मधुबनी, मधुवन उदयपुर-313001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी पंकज चम्पावत।  
– प्रार्थी

**बनाम**

1. श्रीमती रिमझिम भट्ट पत्नि निमेष भट्ट निवासी  
(अ) 5, आशापाला गली, भटीयानी चोहट्टा, उदयपुर, जिला- उदयपुर (राज.)  
(ब) अपार्टमेंट नं. 104, प्रथम तल, श्रीजी दर्शन, प्लॉट नं. – 109, उपली ओडन, मधुवन बंगलोज के सामने, तहसील – नाथद्वारा, जिला – राजसमन्द (राज.)  
– ऋणी

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 12/2023

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 24.07.2023</p> <p>प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड उदयपुर ने दिनांक: 16.01.2023 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया है जिसमें आक्षेप पूर्ति के बाद दिनांक 27.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या QZUDP00005019838 के द्वारा 7,37,741/- अक्षरे सात लाख सैंतीस हजार सात सौ इक्तालिस रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति – श्रीमती रिमझिम भट्ट पत्नि निमेष भट्ट के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति अपार्टमेंट नं. 104, प्रथम तल, श्रीजी दर्शन, प्लॉट नं. – 109, जिसका क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट है जो कि उपली ओडन, मधुवन बंगलोज के सामने, तहसील – नाथद्वारा, जिला – राजसमन्द (राज.) में स्थित है, को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के</p>	



उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 10.12.2021 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन. पी.ए घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या QZUDP00005019838 में बकाया रूपये 7,71,158/- रूपये अक्षरे सात लाख इकहत्तर हजार एक सौ अठावन रूपये मात्र बकाया रकम व ब्याज दिनांक 30.03.2022 तक शेष व देय निकलते हैं, की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 30.03.2022 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किया जो कि अप्रार्थीगण को उक्त धारा 13(2) का नोटिस प्रोपर तामिल नहीं होने के कारण दिनांक 19.06.2022 को दो अखबार (प्रातःकाल एवं द इंडियन एक्सप्रेस) में प्रकाशन करवाया गया तथा न्यायालय में दिनांक 27.06.2023 को प्रकरणाधीन सम्पत्ति पर नोटिस चस्पादगी की प्रति पेश की। परन्तु उक्त नोटिस/प्रकाशन/नोटिस चस्पादगी की जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। यह कि अप्रार्थी ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्न भुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी है। उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है। श्रीमती रिमझिम भट्ट पत्नि निमेष भट्ट के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति अपार्टमेंट नं. 104, प्रथम तल, श्रीजी दर्शन, प्लॉट नं. - 109, जिसका क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट है जो कि उपली ओडन, मधुवन बंगलोज के सामने, तहसील - नाथद्वारा, जिला - राजसमन्द (राज.) में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी प्रकरण में वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 30.03.2022 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण :- श्रीमती रिमझिम भट्ट पत्नि निमेष भट्ट के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति अपार्टमेंट नं. 104, प्रथम तल, श्रीजी दर्शन, प्लॉट नं. - 109, जिसका क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट है जो कि उपली ओडन, मधुवन बंगलोज के सामने, तहसील - नाथद्वारा, जिला - राजसमन्द (राज.) जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है।



जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि पूर्व :- रोड, पश्चिम :- खसरा नं. - 100, उत्तर :- खसरा नं. - 110, दक्षिण :- खसरा नं. - 108 हैं।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड उदयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड उदयपुर को नियमानुसार राजकोष में पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



(नीलाभ संक्सेना)  
जिला मजिस्ट्रेट  
राजसमन्द